

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू- तल, ब्लॉक-6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141-2708487

E-Mail:- swshecell@hotmail.com

क्रमांक : F.5(3)(171)/RCSCE/SWSHE/SHP/2018 /7484

दिनांक: 11/7/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा अभियान,  
जिला-समस्त

विषय:- खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 जुलाई 2019 से समस्त विद्यालयों (राजकीय एवं निजी) में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत समस्त बालक-बालिकाओं को खसरा एवं रूबेला बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाएगा।

खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्कूल से एक नोडल टीचर नामित किया जाए एवं इसकी सूचना PEEO के माध्यम से संकलित कर CBEO द्वारा BCMO से आवश्यक रूप से साझा की जाए।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें :-

जिला स्तर पर :- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अति. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा।

ब्लॉक स्तर पर :- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं प्रत्येक विद्यालय से एक नोडल अध्यापक।

3. सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक टीकाकरण अभियान हेतु ब्लॉक/सेक्टर मुख्यालय पर आयोजित आमुखीकरण में आवश्यक रूप से भाग लें तथा इसके पश्चात् उनके स्कूल के सभी अध्यापकों को अपने स्तर से प्रशिक्षित करेंगे।
4. राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं का टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाए। स्थानीय ANM के साथ समन्वय कर विद्यालय में टीकाकरण की तिथि एवं समय निर्धारित की जाए तथा टीकाकरण की निर्धारित तिथि तथा समय की जानकारी बच्चों व अभिभावकों को एक सप्ताह पूर्व दी जाए।
5. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सभी बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र-1 में तैयार कर CBEO के माध्यम से सम्बन्धित BCMO को उपलब्ध करवाएँ। (प्रपत्र-1 पत्र के साथ संलग्न एवं शाला दर्पण पोर्टल पर भी उपलब्ध)
6. पैरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावकों की शंकाओं को दूर किया जाए। यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी से उनकी बातचीत करवायें तथा बाल सभा में स्वास्थ्यकर्मी द्वारा अभियान के बारे में जानकारी दी जावे।
7. प्रत्येक विद्यालय में एक ही दिन में टीकाकरण किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक 200 विद्यार्थियों के टीकाकरण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टीम लगाई जाएगी।
8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार खसरा-रूबेला की जानकारी छात्रों एवं अभिभावकों को देने के लिए संलग्न प्रारूप में सामग्री उपलब्ध करवायी जावेगी, जिसे अभिभावकों को वितरित करना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com




9. टीकाकरण दल को टीकाकरण कार्य हेतु विद्यालय में दो स्वच्छ कक्षा-कक्ष उपलब्ध करवाये जायें। टीकाकरण कक्ष के समीप वाले कक्षा-कक्ष में उस कक्षा के विद्यार्थियों को बैठाया जाए जिनका टीकाकरण किया जाना है। एक कक्षा के टीकाकरण के उपरान्त उस कक्षा के समस्त छात्र-छात्राओं को उनकी कक्षा में स्थानान्तरित कर क्रमशः दूसरी कक्षा के छात्र-छात्राओं को टीकाकरण के समीप वाले कक्ष में बैठाया जाए।
10. टीकाकरण के समय टीकाकरण कक्ष में एक बार में एक ही छात्र प्रवेश करें। उसके टीकाकरण के समय अन्य छात्र टीकाकरण कक्ष में उपस्थित नहीं रहें।
11. टीकाकरण दिवस पर बच्चों को घर से हल्का नाश्ता करके आने हेतु निर्देशित करें तथा टीकाकरण कक्ष व उसके के समीप वाले कक्ष में भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाए।
12. टीकाकरण दिवस पर अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना प्रपत्र 9 बी में ANM को दी जाए जिससे बाद में उनका भी टीकाकरण करवाया जा सकें। ( पत्र के साथ संलग्न )

खसरा-रूबेला टीकाकरण की विस्तृत जानकारी एवं सन्दर्भित सूचना प्रपत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं। समस्त संस्था प्रधानों को इसे अनिवार्य रूप से देखने एवं उपरोक्तनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।

संलग्न :- 1. सूचना प्रपत्र -1, 9बी, 9ए।

2. छात्रों व अभिभावकों को दिए जाने वाले सूचना कार्ड की प्रति।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)




(डॉ. एन.के. गुप्ता)

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक NHM राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. निदेशक, आर.सी.एच, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
6. उपायुक्त -VII राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को सूचनार्थ
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जिला-समस्त।
8. रक्षित पत्रायली



(हरभान मीणा)

अति.राज्य परियोजना निदेशक-II